**प्रकरण संख्या 10/2024 श्रीमती चन्द्रा बनाम श्रीमती पार्वती व अन्य**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 09.05.2025 | प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा चावण्ड, तहसील सराड़ा में आराजी नंबर 1793, 1977, 1979, 1980, 1985, 1986, 4424 से 4431 कुल किता 14 रकबा 3.06 हैक्टर भूमि स्थित है। पक्षकारान का सजरा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार होकर मूल पुरूष गोविन्दराम जी थे, जिनके वारिस प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1 से 4 हैं, किन्तु गोविन्दराम की मृत्यु पश्चात विरासत से भूमि विपक्षी संख्या 1 से 4 के नाम 1/4, 1/4 हिस्से से दर्ज हो गयी, जबकि प्रार्थीया गोविन्दराम के पुत्री होने से उसका भी 1/5 हिस्सा है। उक्त भूमि विपक्षी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज हो जाने से दिनांक 16.08.2022 को अपना पूरा हिस्सा विपक्षी संख्या 5 को विक्रय कर दिया। इसके बाद विपक्षी संख्या 5 ने दिनांक 17.11.2022 को गुपचुप तरीके से विपक्षी संख्या 6 को विक्रय कर दी तथा भविष्य में भी विपक्षी संख्या 1 से 6 भूमि का विक्रय अन्य व्यक्तियों को कर सकते हैं, जिसे वाद बहुलता बढ़ेगा। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण को ताफैसला मूलवाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।<br><br>अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 21.02.2024 को निर्णय पारित करते हुए प्रार्थीया का अस्थायी प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीया द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है।<br><br>अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की ओर से अधिवक्ता श्री आलोक जैन उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री लोकेश गहलोत उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।<br><br>विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अपीलान्ट गोविन्दराम मे पुत्री होने से विरासत से उसका भी 1/5 हिस्सा बनता है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि पर कब्जा प्रार्थीया का नहीं मानते हुए कब्जा विपक्षी संख्या 5 के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जबकि इस का कोई प्रमाण नहीं है। | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:06:42 IST
Reason: SelfAttested

अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.02.2024 अपास्त किया जाकर विपक्षीगण को ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि विक्रय पत्र पर स्वयं अपीलान्ट श्रीमती चन्दा के हस्ताक्षर हैं। मौके पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं होकर कब्जा क्रेता रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 का चला आ रहा है। पक्षकारों का एक अन्य खाता है, जिसका अपीलान्ट ने दावा पेश नहीं किया है। सहखातेदारी की भूमि में अपीलान्ट मात्र 1/20 हिस्सा ही बनता है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि प्रार्थीया/अपीलान्ट गोविन्दराम की पुत्री होकर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 4 की बहन व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की पुत्री है। हालांकि विक्रय पत्र पर अपीलान्ट के साक्षी के रूप में हस्ताक्षर हैं, किन्तु प्रकरण में हम यह भी पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति पर कोई विस्तृत विवेचन नहीं कर मात्र विपक्षी संख्या 5 रेकार्डेड खातेदार होने एवं कब्जा विपक्षी संख्या 5 का होना मानकर उक्त तीनों बिन्दु अपीलान्ट के पक्ष में साबित नहीं मानते हुए अपीलान्ट/प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो प्रथम दृष्टया न्याय त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 47/2022 निर्णय दिनांक 21.02.2024 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर विस्तृत विवेचन करते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.06.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 09.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी
जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:06:42 IST
Reason: SelfAttested